<u>01- सराहनीय कार्य प्रेस नोट दिनांक 02-04-2021</u>

आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा पुलिस लाइन सभागार में गोष्ठी कर दिए-गए आवश्यक दिशा-निर्देश।

आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत दिनांक 01.04.2021 को श्री दीपक मीणा, जिलाधिकारी जनपद सिद्धार्थनगर एवं श्री रामअभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा पुलिस लाइन सभागार में संयुक्त रूप से गोष्ठी की गई। गोष्ठी के दौरान त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष एवं सकुशल संपन्न कराने हेतु की गई तैयारियों की समीक्षा की गई एवं चुनाव की संवेदनशीलता को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस दौरान पूर्व के चुनावों में घटित घटनाओं की समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने, चुनाव को प्रभावित करने वाले संभावित अपराधियों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने, हिस्ट्रीशीटरों की जांच कर सक्रिय एच0एस0 के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने, अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों/किसी भी प्रकार के मुकदमें के अभियुक्तों के शस्त्र जमा कराने की कार्यवाही करने, गंभीर अपराधों में जमानत पर बाहर आए अभियुक्तों की जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही करने, अवैध शराब के निष्कर्षण, ब्रिकी व परिवहन के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने, पुलिस के मददगार व्यक्तियों की सूची बनाकर उनसे लगाकर संपर्क में रहकर लाभप्रद सूचनायें संग्रहित करने, समस्त बूथों का भौतिक निरीक्षण करके आवश्यक मूलभूत सुविधायें जैसे- बिजली, पानी, शौचालय एवं रास्तों आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने निर्देश दिए गए।

कलस्टर मोबाइल, पिकेट डियूटी, बैरियर डियूटी, बूथ डियूटी आदि समस्त ड्यूटियों में तैनात पुलिसकर्मियों को निर्धारित साफ-सुथरी वर्दी धारण करने एवं ड्यूटी के दौरान नागरिकों से शालीन एवं मृदुभाषी व्यवहार करने तथा सभी प्रकार की ड्यूटी पर समय से पूर्व उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। सोशल मीडिया पर सतर्क दृष्टी रखते हुए किसी भी प्रकार के अपवाहों/भ्रामक सूचनाओं का खंडन करने, मतदान डियूटी के दौरान प्रत्येक बूथ पर एक लोकल पुलिसकर्मी की डियूटी लगाने, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत मतदान स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराने तथा लाइन बनाकर मतदाताओं के बीच उचित दूरी मेंटेन कराने आदि के संबंध में निर्देशित किया गया।

उक्त गोष्ठी में अपर जिलाधिकारी, समस्त उप-जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष मौजूद रहें ।

02- सराहनीय कार्य प्रेस नोट दिनांक 02-04-2021

चौकी डिडई पुलिस व एस0ओ0जी टीम जनपदसिद्धार्थनगर द्वारा अवैध शस्त्र फैक्टरी का भण्डाफोड़, एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर, कब्जे से निर्मित/अर्द्ध निर्मित शस्त्र, कारतूस एवं भारी मात्रा मेंशस्त्र बनाने के उपकरण बरामद।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "अपराध की रोकथाम एंव अपराधियों की गिरफ्तारी एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत चलाए जा रहे अभियान में, श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व श्री अरूण चन्द्र, क्षेत्राधिकारी बांसी के कुशल निर्देशन में उ0नि0 श्री भानू प्रताप चौकी प्रभारी डिडई व उ0नि0 श्री जीवन त्रिपाठी, प्रभारी एस0ओ0जी0 टीम के नेतृत्व में बीती रात मुखबीर द्वारा सूचना मिली की एक व्यक्ति ग्राम सांडीकला के मण्डी समीती के कमरे के अन्दर एक व्यक्ति जो अवैध शस्त्र का निर्माण व विक्रय रात्रि के समय चोरी से करते हैं कि मुखबिर की सूचना पर उ0नि0 श्री भानू प्रताप व उ0नि0 श्री जीवन त्रिपाठी तथा सर्विलांस टीम मय हमराह फोर्स के साथ मौके पर पहुचंकर अभियुक्त को समय रात्रि गिरफ्तार किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0........ /2021 धारा 3/5/25/26 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण बरामदगी।

1- तीन अदद तमंचा 315 बोर निर्मित एक अदद अर्ध निर्मित तमंचा 315 बोर, एक अदद तमंचा 312 बोर ।
2- 11 अदद नाल लोहे की।
3- 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर।
4- छोटी बड़ी स्प्रीग 19 अदद।
5- एक अदद हथौडी, एक अदद हथौडा, दो अदद छैनी, दो अदद रिन्च, 54 अदद छोटा बड़ा रिपीट, 10 अदद नट बोल्ट, एक अदद आरी लोहे की बल्डे लगी हुई, 05 अदद आरी बल्डे, एक अदद ठिहा लोहे का, एक अदद सरसी लोहे की, दो अदद पेचकश, एक अदद फूकनी लोहे की, एक अदद लोहे की भोकनी, 26 अदद लोहे की चौड़ी पट्टी, 12 अदद लोहे की बड़ी के आकर की बॉडी के आकर की चद्रर,
   एक अदद लोहे की लम्बी चन्द्रर, 12 अदद लोहे का वार्सल, एक पैकेट मोमबत्ती, एक अदद अध जली मोमबत्ती, दो अदद माचिस, दो छला मॉटिन, एक अदद लोहे की रॉड मुडी हुई, दो अदद सरिया का टुकड़ा व एक अदद पिलास ।
6- नगद रुपये 1700/-
7- एक अदद पीली धातु की चैन।
8- मोटरसाइकिल यू0पी0 55 ए0ई0 9419 पैशन प्रो
9- एक अदद मोबाइल ऐनडाईड, एक अदद कलाई घड़ी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1- अमरजीत सिंह उर्फ अरविन्द सिंह उर्फ लल्ला उर्फ नट देहाती पुत्र योगेन्द्र सिंह निवासी कलनाखोर थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।

<u>अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-</u>

01- मु0अ0सं0 22/2017 धारा 457/380 भादवि0 थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ।
02- मु0अ0सं0 35/2017 धारा 457/380 भादवि0 थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ।
03- मु0अ0सं0 51/2017 धारा 307 भादवि0 थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ।
04- मु0अ0सं0 1007/2017 धारा 457/380 भादवि0 थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ।
05- मु0अ0सं0 1211/2017 धारा 380/411 भादवि0 थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ।
06- मु0अ0सं0 1227/2016 धारा 147/148/307 भादवि0 थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ।
07- मु0अ0सं0 1353/2017 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ।
08- मु0अ0सं0 1364/2017 धारा 457/380 भादवि0 थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ।
09- मु0अ0सं0 1366/2016 धारा 457/380 भादवि0 थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ।
10- मु0अ0सं0 1369/2016 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ।
11- मु0अ0सं0 12/2014धारा 457/380 भादवि0 थाना गाजीपुर जनपद लखनऊ(होंडा एवियेटर)।
12- मु0अ0सं0 66/2014 धारा 457/380भादवि0 थाना जानकीपुरम जनपद लखनऊ(लाइसेंसी रिवाल्वर)।
13- मु0अ0सं0 308/2016 धारा 457/380/411/401/34/120 भादवि0 थाना विभूतीखण्ड जनपद लखनऊ।
14- मु0अ0सं0 461/2016 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना विभूतीखण्ड जनपद लखनऊ।
15- मु0अ0सं0 308/2016 धारा 457/380/411/401/34/120 भादवि0 थाना विभूतीखण्ड जनपद लखनऊ।
16- मु0अ0सं0 519/2016 धारा 457/380/411/401/34/120 भादवि0 थाना विभूतीखण्ड जनपद लखनऊ।
17- मु0अ0सं0 620/2016 धारा 457/380/411/401/34/120 भादवि0 थाना विभूतीखण्ड जनपद लखनऊ।
18- मु0अ0सं0 461/2016 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना विभूतीखण्ड जनपद लखनऊ।
19- मु0अ0सं0 15/2017 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना विभूतीखण्ड जनपद लखनऊ।
20- मु0अ0सं0 26/2017 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना विभूतीखण्ड जनपद लखनऊ।
21- मु0अ0सं0 30/2017 धारा 41/411/413 भादवि0 थाना विभूतीखण्ड जनपद लखनऊ।
22- मु0अ0सं0 1458/2016 धारा 457/380 भादवि0 थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ।
23- मु0अ0सं0 1468/2016 धारा 392/457 भादवि0 थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ।
24- मु0अ0सं0 1504/2016 धारा 457/380 भादवि0 थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ।
25- मु0अ0सं0 1539/2016 धारा 457/380 भादवि0 थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ।
26- मु0अ0सं0 1572/2016 धारा 457/380 भादवि0 थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ।
27- मु0अ0सं0 1620/2016 धारा 457/380 भादवि0 थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ।
28- मु0अ0सं0 1458/2016 धारा 457/380 भादवि0 थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ।
29- मु0अ0सं0113/2020 धारा धारा 411/413/414 भादवि0 व 3/25/27 शस्त्र अधिनियम थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।

इसके अतिरिक्त, अभियुक्त द्वारा पूछताछ में अन्य अपराधों में भी संलिप्त होने की बात स्वीकारी है, जिसके संम्बन्ध में अन्य जनपदों से जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. उ0नि0 श्री श्री भानू प्रताप सिंह, चौकी प्रभारी डिडई थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।
2. उ0नि0 श्री जीवन त्रिपाठी प्रभारी एस0ओ0जी0 टीम जनपद सिद्धार्थनगर।

3 . उ0नि0 श्री शंशाक सिंह थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।
4. उ0नि0 श्री वैधनाथ शुक्ला चौकी डिडई थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।
5. हे0का0 राजीश शुक्ला एस0ओ0जी0 टीम जनपद सिद्धार्थनगर।
6. हे0का0 आनन्द प्रकाश एस0ओ0जी0 टीम जनपद सिद्धार्थनगर।
7. आरक्षी वीरेन्द्र त्रिपाठी एस0ओ0जी0 टीम जनपद सिद्धार्थनगर।
8. आरक्षी अखिलेश यादव एस0ओ0जी0 टीम जनपद सिद्धार्थनगर।
9. आरक्षी अवनीश सिंह थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।
10. आरक्षी पवन तिवारी एस0ओ0जी0 टीम जनपद सिद्धार्थनगर।
11. हे0का0 अनुप राय, आरक्षी विवेक मिश्रा व आरक्षी दिलीप द्विवेदी सर्विलांस सेल सिद्धार्थनगर।

03- सराहनीय कार्य प्रेस नोट दिनांक 02-04-2021

सिपाही को मिला इनाम आई जी ने किया चाय पर आमंत्रित ।।
आज दिनांक-02-04-2021 को श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर ज़ोन गोरखपुर के आदेश के क्रम में श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती श्री अनिल कुमार राय द्वारा परिक्षेत्रीय कार्यालय पर बीपीओ प्रणाली में बस्ती परिक्षेत्र के जनपद बस्ती में पहला स्थान प्राप्त करने वाले थाना कोतवाली के बीट पुलिस अधिकारी (बीपीओ) मुख्यआरक्षी कलामुद्दीन पीएनओ-90030251 जनपद सिद्धार्थनगर में पहला स्थान प्राप्त करने वाले आरक्षी देवानन्द गौतम पीएनओ-162622065 थाना त्रिलोकपुर , जनपद संतकबीरनगर में सयुंक्त रूप प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले आरक्षी रत्नेश सिंह व आरक्षी संजीव यादव -182770744 थाना मेंहदावल को प्रोत्साहन हेतु चाय पर आमंत्रित किया गया।

महोदय ने बताया कि परिक्षेत्र के जनपदों में अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए उन्होनें बीट सिपाहियों के लिए एक प्लान तैयार किया है ।जिसके अंतर्गत थानों में तैनात पुलिस कर्मियों को अपने बीट क्षेत्र के 250 संभ्रांत व्यक्तियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए कहा गया है।

सिपाहियों द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में लोगो को जोड़ते समय इन बातों का ध्यान रखना होगा कि वह व्यक्ति उनके ही बीट क्षेत्र का हो,उनकी छवि समाज में साफ सुथरी हो।

महोदय का कहना है कि इससे बीट क्षेत्र में सिपाहियों (बीट पुलिस अधिकारी) का लोगों से संवाद बढ़ेगा। बीट पुलिस अधिकारी (आरक्षी) उनकी समस्याओं को जान सकेंगे और उनके निराकरण का समुचित प्रबंध करेंगे।
महोदय ने बताया कि बीपीओ के पास अपने क्षेत्र के संभ्रांत लोगों के साथ क्रिमनल्स का पूरा रिकॉर्ड होगा। बदमाशों पर उनकी पैनी नजर रहेगी। इसके अलावा इलाके में होने वाले जुआ, शराब और अन्य छोटे-छोटे अपराधों की पूरी सूचना भी बीपीओ को बीट बुक में नोट करनी होगी। बीपीओ के पास इलाके के लेखपाल सहित अन्य राजस्व व ब्लॉककर्मियों के मोबाइल नंबर भी होंगे। प्रत्येक बीपीओ को रिवॉल्वर, बॉडी बार्म कैमरा दिया जाएगा। प्रत्येक बीपीओ पास क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर अपराधियों के रिकॉर्ड, कोर्ट समन, वारंट, एनसीआर के मुकदमे, थाने से आए शिकायती प्रार्थना पत्र, पासपोर्ट व चरित्र सत्यापन की जांच संबंधी प्रपत्र रहेंगे।

04- सराहनीय कार्य प्रेस नोट दिनांक 02-04-2021

“शांति व्यवस्था भंग करने वाले 04 लोगो के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही”

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री राम अभिलाष त्रिपाठी के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री सुरेश चंद्र रावत के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी इटवा श्री रमेश चंद पांण्डेय एवं प्रभारी निरीक्षक गोल्हौरा अनिल कुमार पांण्डेय के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 02.04.2021 को संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने व शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए दोनो पक्षो के विरूद्ध धारा 151/107/116 सीआरपीसी की कार्यवाही कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

विवाद का कारण - जमीनी विवाद को लेकर

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण -

1. राजदेव चौहान पुत्र स्वर्गीय बेकारु ग्राम अजगरा थाना गोल्हौरा, जनपद सिद्धार्थनगर, उम्र 55 वर्ष।

2- विजय बहादुर पुत्र स्वर्गीय बेकारु निवासी ग्राम अजगरा थाना गोल्हौरा जनपद सिद्धार्थनगर, उम्र 52 वर्ष।

3- पिंटू उर्फ जगदीश पुत्र राजदेव निवासी ग्राम अजगरा थाना गोल्हौरा जनपद सिद्धार्थनगर, उम्र 30 वर्ष।

4- अमर सिंह उर्फ अजीत पुत्र सुदामा निवासी ग्राम अजगरा थाना गोल्हौरा जनपद सिद्धार्थनगर, उम्र 36 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उपनिरीक्षक श्री राम मिलन यादव 2-कांस्टेबल राजाराम यादव।

3- -कांस्टेबल दिलीप कुमार

05- सराहनीय कार्य प्रेस नोट दिनांक 02-04-2021

प्रभारी निरीक्षक भवानीगंज द्वारा किया गया मतदान केन्द्रों का निरीक्षण, चौपाल लगा आसपास के लोगों से की गई वार्ता

आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल व शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराए जाने हेतु भवानीगंज पुलिस द्वारा लगातार आवश्यक कार्यवाही एवं तैयारियां की जा रही है उसी क्रम में समस्त मतदान केन्द्रों का निरीक्षण करना व आवश्यक सुविधाओं/व्यवस्थाओं का जायजा लेना है जो लगातार प्रभारी निरीक्षक द्वारा किया जा रहा और गांवों में चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। आज दिनांक 02/04/2021 श्रीमान प्रभारी निरीक्षक रवीन्द्र कुमार सिंह द्वारा थाना भवानीगंज के अन्तर्गत पड़ने वाले विभिन्न मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया गया तथा लोगों से वार्ता कर आवश्यक जानकारी लेने के साथ ही सभी को निष्पक्ष एवं भयमुक्त होकर मतदान करने तथा किसी भी प्रकार के अफवाहों से बचने हेतु जागरूक किया गया।

06- सराहनीय कार्य प्रेस नोट दिनांक 02-04-2021

आज दिनांक 02.04.2021 को श्री रामअभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थनगर के आदेश पर एवं श्री सुरेशचन्द रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर व श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अभियान में संयुक्त टीम श्री मनोज कुमार सिंह थानाध्यक्ष उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में थाना उसका बाजार पुलिस द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की गयी।

1 .मु.अ.सं. 63/2021 धारा 4/25 आर्मस एक्ट के तहत 01 नफर अभियुक्त सुरज पुत्र सुभाष पत्थरकट्ट साकिन तिघरा टोला महुरैया थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक नाजायज चाकू बरामद कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

2. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव- 2021 के दृष्टिगत शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु 12 मुकदमे मे 102 व्यक्तियो के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 107/116 सीआरपीसी मे रिपोर्ट चालानी मा. न्यायालय प्रेषित की गयी।

3. वाहन चेकिंग के दौरान 05 वाहनो से 5000/- रू. ई-चालान किया गया है।

चेकिंग व बरामद करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. थानाध्यक्ष श्री मनोज कुमार सिंह थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर
2. उ.नि.श्री पारसनाथ सिंह थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर
3. उ.नि. श्री वीरेन्द्र कुमार यादव थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर
4. का.अखिलेश यादव थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर
5. का.चन्द्रेश यादव थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर

07- सराहनीय कार्य प्रेस नोट दिनांक 02-04-2021

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के अन्तर्गत श्री सुरेश चंद रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी सदर श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशन में व श्री जयप्रकाश दूबे थानाध्यक्ष थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल नेतृत्व में आगामी ग्राम पंचायत सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत अपराध एंव अपराधियों के बिरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 02.04.2021 को थाना कपिलवस्तु पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने एवं शांति व्यवस्था कायम रखने के दृष्टिगत धारा 107/116 सीआरपीसी के अन्तर्गत सकिन पंडितपुर 07 व्यक्ति, तेनुहवा के 10 व्यक्ति, बरगदी के 10 व्यक्ति तथ्य ग्राम तरैनी के 05 कुल मिलाकर 32 व्यक्तियों की चलानी रिपोर्ट माननीय न्यायालय भेजा गया। थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित बूथों *बानकतवा , मधवानगर, मिश्रोलिया , सिहोरवा बुजुर्ग ,, अलीगढ़वा * का भ्रमण किया गया। कहीं पर कोई अप्रिय बात सामने नही आयी है।

08- सराहनीय कार्य प्रेस नोट दिनांक 02-04-2021

30 शीशी नेपाली शराब नाजायज़ के साथ 01 तस्कर को पुलिस ने दबोचा।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश, श्री सुरेश चंद्र रावत,अ.पु.अ. के दिशा निर्देश व श्री राणा महेंद्र प्रताप सिह, पुलिस उपाधीक्षक, सदर के कुशल पर्यवेक्षण, श्री महेश सिह, थानाध्यक्ष कपिलवस्तु के कुशल नेतृत्व मे आज दिनाक 02.04.21 को समय 17.30 बजे थाना कपिलवस्तु पुलिस द्वारा एक तस्कर सोनू शर्मा पुत्र रामधनी शर्मा सा.सूपा राजा थाना योगिया उदयपुर सिद्धार्थनगर को 30 शीशी नेपाली शराब नाजायज़ के साथ ग्राम ठकुरापुर के पास से गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तारी बरामदगी का विवरण-

अभियुक्त -

1- सोनू शर्मा पुत्र रामधनी शर्मा सा.सूपा राजा थाना योगिया उदयपुर सिद्धार्थनगर।

1- 30 शीशी नेपाली नाजायज़ शराब

टीम का विवरण -

1- उपनिरीक्षक श्री दिलीप यादव थाना कपिलवस्तु

2- का. अभिषेक यादव

3- का. दुर्गेश यादव

09- सराहनीय कार्य प्रेस नोट दिनांक 02-04-2021

माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत रिकवरी वारंट में 01 नफर वारंटी की गिरफ्तारी थाना मिश्रौलिया

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थ नगर श्री रामअभिलाष त्रिपाठी के दिशा निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थनगर श्री सुरेश चंद्र रावत व क्षेत्राधिकारी महोदय इटवा श्री रमेश चंद्र पाण्डेय के निर्देशन व पर्यवेक्षण के क्रम में थाना मिश्रौलिया पुलिस द्वारा माननीय परिवार न्यायालय सिद्धार्थनगर द्वारा निर्गत रिकवरी/गिरफ्तारी वारंट वाद संख्या 295/19 धारा 128 CrPC में एक वारंटी की गिरफ्तारी की गई। बाद आवश्यक कार्रवाई वारंटी को माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार वारण्टी का विवरण

1. राम बहाल पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम सोनौली नानकार थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

1. हे0का0 सुरेश चंद्र गिरी

2. रमाशंकर यादव

थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर